राजधरा एप पकड़ेगा सम्पत्ति रजिस्ट्री के फर्जी दस्तावेज

अजमेर। राज्य सरकार ने अचल सम्पत्तियों के पंजीयन में प्रस्तुत किए जाने वाले फर्जी दस्तावेजों और गलत भूमि/भूखण्ड और भवन के रजिस्ट्रेशन को पकड़ने के लिए राजधरा एप तैयार किया है, जो प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्शायी गई जगह का मौका निरीक्षण करने के बाद तुरन्त उसके सही और गलत की लोकेशन ट्रेस आऊट कर लेगा। इस एप का उपयोग पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में चिहिन्त स्थान या लोकेशन पर आवश्यक रुप से पहुंचकर ही किया जा सकेगा। पंजीयन से पूर्व बनाई जाने वाली मौका-निरीक्षण रिपोर्ट भी ट्रेस आऊट की गई लोकेशन के आधार पर ही बन सकेगी, ताकि वास्तविक सम्पत्ति का ही पंजीयन हो सके। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा इस नई व्यवस्था की शुरुआत एक जून से की जाएगी। इसके लिए सभी उप महानिरीक्षक और उप पंजीयक अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राजधरा एप के उपयोग करने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। डीआईजी और सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में इसे प्रयोग के रुप में अपनाया जा रहा है।